## प्रकाशनार्थ आलेख

# माशेल्कर और बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों का नापाक गठजोड़ –मीनाक्षी अरोरा

माशेल्कर की अध्यक्षता में 'पेटेंट मुद्दों' पर बनी विशेषज्ञों की समिति ने दिस. 2006 में भारत सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी थी; उसको अब वापस लेने की घोषणा की है। इसका कारण माशेल्कर ने 'तकनीकी गड़बड़ी और साहित्यिक चोरी' बताया है। वास्तव में यह सच्चाई छुपाने की साजिश है। सच तो यह है कि माशेल्कर की बेईमानी और बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के रिश्ते अब जग–जाहिर हो चुके हैं, इसलिए अब बहाना बनाया जा रहा है। जबकि यह कोई 'नकल या तकनीकी' गड़बडी का मामला नहीं है बल्कि सोची–समझी और पूर्व नियोजित योजना थी कि 'ऐसी ही रिपोर्ट बने'। माशेल्कर ने 'औद्योगिक नीति और संचालन विभाग' के सचिव अजय दुआ को 19 फरवरी को लिखे एक पत्र में दोबारा जांच के लिए तीन माह का समय मांगा है और अब हर कोई जानता है कि नई रिपोर्ट का परिणाम क्या होगा; यही होगा कि नई बोतल में पुरानी शराब। माशेल्कर और बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के गठजोड़ की वजह से तीसरी दुनिया के गरीब मुल्कों से हिन्दुस्तान को खूब बद्दुआएं मिल रहीं हैं। आखिर माशेल्कर की हिमाकत देखिए, जहां दुनिया के गरीब मुल्क 'दोहा समझौते' का फायदा उठाकर दवाएं सस्ती कर रहे हैं, वहीं माशेल्कर हिन्दुस्तान में दवाएं महंगी चाहते हैं।

मामला यह है कि पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 2005 पर संसद में जो बहस हुई थी, उसके बाद डा. माशेल्कर (निदेशक, सी.एस.आई.आर.) की अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक समिति बनाई थी, जिसमें चार विशेषज्ञ और शामिल थे– प्रो. गोवर्धन मेहता, असिस दत्ता, एन.आर. माधव मेनन, और मूलचंद शर्मा। इस समिति को दो विवादित मुद्दों की जांच सौपी गई थी– पहली, किसी दवा में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसे नई पहचान देने पर दिए गए पेटेंट को सीमित करना और दूसरी, सूक्ष्म जैव रूपों को पेटेंट के दायरे से बाहर करना, क्या ये परिवर्तन डब्ल्यूटीओ के 'ट्रिप्स समझौते' के अनुकूल होंगे?

हैरानी की बात है कि इन 5 प्रसिद्ध विशेषज्ञों की समिति ने विचार करने में पूरा डेढ़ वर्ष का समय लगाया और उसके बाद जो रिपोर्ट आई, वह शब्दशः एक पेपर से नकल की गई थी यानी चोरी गई थी; मूल ड्राफ्ट *'लिमिटिंग द पेटेंटेबिलिटि ऑव फार्मास्यूटिकल इंवेंशस एण्ड माइक्रो–आर्गेनिज्मः अ ट्रिप्स कपैटिबिलिटि रिव्यू'* शीर्षक से शमनाद बशीर द्वारा नवम्बर 2005 में लिखा गया था। मूल ड्राफ्ट लिखने के लिए शमनाद बशीर को वित्तीय सहायता यूरोपीय, अमरीकी, और जापानी दवा अनुसंधान कंपनियों की स्विस एसोसिएशन 'इंटरपेट' द्वारा दी गई थी, यह एसोसिएशन दुनिया भर में बौद्धिक सम्पदा कानूनों को बहुराष्ट्रीय हित में बदलने के लिए काम करती है। माशेल्कर समिति की रिपोर्ट का सबसे विचित्र और दुखद पहलू तो यह रहा कि डब्ल्यूटीओ के दोहावार्ता में निर्णय के बावजूद भी, इसने पेटेंट के भारतीय मानकों को ट्रिप्स के खिलाफ घोषित कर दिया।

1995 में डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स समझौते के बाद से ही दवाओं पर पेटेंट का झगड़ा शुरू हुआ। इस समझौते के परिणामस्वरूप डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों के लिए दवा के प्रोडक्ट और प्रक्रिया दोनों पर पेटेंट की सख्त व्यवस्था करना जरूरी किया गया था। लेकिन कुछ सालों से लगातार जनसंगठनों ने इस सच्चाई को उजागर किया कि 'प्रोडक्ट पेटेंट' के परिणामस्वरूप एकाधिकार हो जाने से एचआईवी एड्स जैसी बीमारियों की आवश्यक दवाएं महगी हो जाएंगी, जिसका काफी असर पड़ा। विकसित देशों में पेटेंट की हुई कुछ दवाओं के दाम प्रतिरोगी प्रतिवर्ष 10,000–15,000 अमरीकी डालर हैं; जबकि भारत की दवा कंपनियां उन्हीं दवाओं को मात्र 300 अमरीकी डालर की कीमत पर उपलब्ध कर रही हैं। अगर विकासशील देश इन दवाओं को सस्ते उत्पादन या भारत जैसे देशों से आयात करें तो सस्ती दवाएं आसानी से दुनिया के अन्य हिस्सों के गरीब लोगों को भी प्राप्त हो जाएंगी और हो रही हैं, इसीलिए दुनिया के सभी गरीब मुल्क भारतीय पेटेंट व्यवस्था को दोहावार्ता के अनुरूप ही देखना चाहते हैं। ट्रिप्स समझौते में भी सदस्य देशों को दवाओं के पेटेंट की अनुमति के साथ–साथ कुछ रियायतें भी दी गई हैं जैसेः किसी भी पेटेंटवाली दवा के महंगी होने की स्थिति में देश किसी ऐसी एजेंसी या कंपनी को पेटेंट की हुई दवा की ही जेनेरिक विकल्प दवा बनाने या आयात करने के लिए 'अनिवार्य लाइसेंस' दे सकते हैं, ताकि मरीजों को सस्ती दवा आसानी से मिल सके। 2001 में हुए दोहावार्ता में भी जनस्वास्थ्य की दृष्टि से इस रियायत को सुनिश्चित किया गया।

माशेल्कर का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ गंठजोड़ का ही परिणाम है कि अब बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां इन्हीं तर्कों का सहारा लेकर ट्रिप्स के तहत थोड़ी–बहुत मिली अंतरराष्ट्रीय कानूनी सुरक्षा को भी खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। 'नोवार्टिस' द्वारा चेन्नई हाईकोर्ट में किया गया मुकदमा इसी श्रृंखला की शुरूआत है।

एक ओर जब मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जिंबाबवे और घाना जैसे विकासशील देश ट्रिप्स समझौते और दोहावार्ता में दी गई रियायतों का पूरा–पूरा लाभ उठा रहे हैं, भारत सरकार ने भी इसी दिशा में कदम उठाए हैं, तो फिर माशेल्कर उन पर क्यों पानी फेर रहे हैं? क्यों भारत के लिए एक अलग मानक कायम कराने पर आमादा हैं? माशेल्कर के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ रिश्ते अब साफ दिखने लगे हैं। प्रायः वह मीटिंग, वार्ता, डिग्री, या पुरस्कार लेने के लिए सरकारी व निजी अनेक विदेशी और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में जाते हैं। वह विश्वबैंक और डब्ल्यू.आई.पी.ओ. जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सलाहकार भी हैं और इनसे माशेल्कर को मोटी रकम मिलती रही है।

यही वक्त है जब देश को चेत जाना चाहिए कि अगर माशेल्कर जैसे लोग हमारी वैज्ञानिक और अनुसंधान व्यवस्था के मुखिया बनकर देश की नीतियां निर्धारित करेंगे और इसके साथ–साथ विश्वबैंक और डब्ल्यूटीओ के सलाहकार भी वहीं होंगे तो हैरानी की बात नहीं कि वैज्ञानिक और औद्योगिक खोजों के परिणाम के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं होगा। सीएसआईआर पर खर्च होने वाला 1,200 करोड़ सलाना सार्वजनिक रूपया भी बेकार चला जाएगा। गरीब आदमी के पास स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ती हुई महंगाई से बचने का एकमात्र विकल्प रह जाएगा, आत्महत्या! जो पहले से ही देश में बड़े पैमाने पर हो रही है।

शब्द संख्या–950,

आलेख प्रकाशित होने की स्थिति में अखबार की कतरन और पारिश्रमिक राशि 'पीपुल्स न्यूज नेटवर्क' दिल्ली के पते पर भेजें।
**पीपुल्स न्यूज नेटवर्क** संपादक मंडल– अमित सेन गुप्ता, अरुण अग्रवाल, भारत डोगरा, ई पी मेनन, हर्ष डोभाल, जावेद नकवी, प्रशांत भूषण, संजय काक
(समाचार–विचार सर्विस) कार्यकारी सम्पादक –शिराज केसर, पीएनएन, 14 सुप्रीम एन्क्लेव, मयूर विहार फेज 1, दिल्ली–91, फोन–011,22756796 ईमेल–peoplesnewsnetwork@gmail.com